

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023

- ▶ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का अध्ययन करते समय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का Base Act की सहायता लें
- ▶ यह Notes आगामी न्यायिक सेवा परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं।
- ▶ यह Notes आपके लिए न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी में महत्वपूर्ण साबित होंगे।
- ▶ इन नोट्स को बनाने में अत्यंत सावधानी बरती गयी है किंतु यदि इनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के Base Act को सही माना जाएगा।
- ▶ यह नोट्स आपको प्रारम्भिक परीक्षा में उचित अंक दिलाने में महत्वपूर्ण साबित होंगे।
- ▶ हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।

TARGET FOR IO

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023

- ▶ कुल धारा :- 170
 - ▶ भाग :- 4
 - ▶ अध्याय :- 12
 - ▶ अधिनियम संख्या :- 47th of 2023
 - ▶ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का ड्राफ्ट आगित शाह ने तैयार किया।
 - ▶ 11 Aug 2023 को पहली बार मानसून सत्र में पेश किया गया
 - ▶ राष्ट्रपति की सहमति :- 25/Dec/2023
 - ▶ प्रवर्तन :- 1/July/2024
 - ▶ प्रस्तावना :- निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों को समेकित करने और सिद्धांतों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।
- TARGET FOR IO
- ▶ प्रावधान :- (i) 2 नयी धाराएँ, 6 उपधाराएँ जोड़ी गयी
 - (ii) 5 नए स्पष्टीकरण जोड़े गए तथा 4 स्पष्टीकरण हटाए गए
 - (iii) दो नए परंतुक जोड़े गए तथा 24 परंतुकों को Modified किया गया है।
 - (iv) 6 नयी धाराओं को हटाया गया है।
- ▶ महत्वपूर्ण बदलाव :-
 - इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रस्तावना की परिभाषा में शामिल किया गया
 - साक्ष्य की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को शामिल किया गया

- इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल रिकॉर्ड को शामिल किया गया

भाग-1

अध्याय: 1 प्रारम्भिक

➤ धारा 1:- संक्षिप्त नाम :- भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है

- कहां लागू होगा :- (i) किसी न्यायालय में
(ii) उसके समक्ष न्यायिक कार्यवाहियों में
(iii) सेना न्यायालय पर

- कहां लागू नहीं होगा :- (i) किसी अधिकारी
(ii) शपथ पत्र
(iii) अर्द्ध न्यायिक कार्यवाहियों पर
(iv) मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों पर

TARGET FOR IB

- लागू :- उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

➤ धारा 2:- परिभाषा

↳ IEA के sec 2 को निरासित कर दिया गया और sec 3 निर्वचन खण्ड की जगह परिभाषा कर दिया गया है।

2(A):- न्यायालय :- इसके अंतर्गत

- (i) सभी न्यायाधीश
- (ii) माजिस्ट्रेट
- (iii) साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत

But → मध्यस्थ नहीं आता है।

2(B): निश्चायक सबूत :- एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है। वहा न्यायालय उस तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा।


TARGET FOR IO

↳ BSA :- Sec 4

2(C) नासाबित :- जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात् या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है। या उसके अस्तित्व को इतना अधिसम्भाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी पुरावान धारत्री को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है।

TARGET FOR IO

2(D): दस्तावेज :- ऐसा कोई विषय अभिप्रेत



उदाहरण :- लेख दस्तावेज हैं।

- मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटोचित्र शब्द
- मानचित्र, रेखांक
- धातुपट्ट या शिला पर उत्कीर्ण लेख